पत्रांक-बा0नि0रूपां0प्र0-02-तक0(अना0)-193-2025-

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-,
कार्यपालक पदाधिकारी (पं0स0),
फुलवारीशरीफ ।

पटना, दिनांक

विषयः— ***पटना जिला के फुलवारीशरीफ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत शोरमपुर में ग्राम अधपा के वार्ड संख्या-09 एवं 14 में पुनपुन नदी में छठ घाट निर्माण कार्य एवं ग्राम पंचायत शोरमपुर के ग्राम अधपा में पुनपुन नदी में छठ घाट का निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।***

प्रसंगः— ***आपका पत्रांक-13 दिनांक-24.01.2025***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य अभियंता, पटना परिक्षेत्राधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद के अधीन पटना जिला के फुलवारीशरीफ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत शोरमपुर में ग्राम अधपा के वार्ड संख्या-09 एवं 14 में पुनपुन नदी में छठ घाट निर्माण कार्य एवं ग्राम पंचायत शोरमपुर के ग्राम अधपा में पुनपुन नदी में छठ घाट का निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धान्तिक सहमति निम्नवत शर्तो के साथ निर्गत की जाती है:-

1. कार्यकारी विभाग/एजेन्सी पटना जिला के फुलवारीशरीफ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत शोरमपुर के ग्राम अधपा के वार्ड संख्या-09 एवं 14 में पुनपुन नदी में छठ घाट निर्माण कार्य एवं ग्राम पंचायत शोरमपुर के ग्राम अधपा में पुनपुन नदी में छठ घाट निर्माण स्थल पर ही कार्य करायेंगे।
2. कार्य कराने के पूर्व River Training Works से संबंधित कार्यो को मानक के अनुरुप दिये गये निदेशों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा ।
3. छठ घाट निर्माण कार्यस्थल के Upstream एवं Downstream भाग के Project Affected Portion पर आवश्यकतानुसार Flood Protetion Work कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग/एजेन्सी की होगी।
4. प्रस्तावित छठ घाटों का निर्माण नदी का जलश्राव 151000 क्यूसेक मानकर रुपांकण कर कराना होगी।
5. नदी के Waterway को हर समय Clear रखना होगा (निर्माण के दौरान भी)। बाढ़ अवधि में कार्य कराने की अनुमति नहीं होगा।
6. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्णरुपेण हटा लिया जायेगा।

7. कार्यकारी विभाग/एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित छठ घाटों के निर्माण के क्रम में नदी/पुनपुन नदी के तटबंध पर किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
8. कार्यकारी विभाग/एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित छठ घाटों का निर्माण कार्य विशिष्टयों एवं मानकों अनुरुप कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. कार्यकारी विभाग/एजेंन्सी द्वारा प्रस्तावित छठ घाटों के निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित करना होगा। छठ घाटों के निर्माण के क्रम में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूर्ण दायित्व कार्यकारी विभाग/एजेन्सी की होगी।
10. प्रस्तावित निर्माण कार्यस्थलों पर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व अक्षुण्ण रहेगा।
11. कार्य आरम्भ एवं कार्य समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता को ससमय आवश्यक रुप से देना होगा।
12. कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण के समय संबंधित मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रदत्त निदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।
13. बाढ़ अवधि के समय संरचना के सुरक्षा की सम्पूर्ण जबाबदेही कार्यकारी विभाग/एजेन्सी की होगी।
14. प्रस्तावित निर्माण कार्यस्थलों पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर जल संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
15. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक-यो०मो०-4(विविध)07-372/2020 पार्ट–II–143/पटना दिनांक-06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये Flood Plain Zoning के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
16. उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

अनु0-यथोक्त्।

विश्वासभाजन
ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांकः- बा0नि0रूपां0प्र0-02-तक0(अना0)-193-2025- पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपिः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना /अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना / कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांकः- बा0नि0रूपां0प्र0-02-तक0(अना0)-193-2025- 127 पटना/ दिनांक- 08/04/2025

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

06/4/25
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय